शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 116 /52-1-2014-17(एम0एस0डी0पी0)/13

प्रेषक,

कृष्ण मोहन त्रिवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 08 जनवरी, 2014

विषय -12 वीं पंचवर्षीय योजना में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद जे0पी0 नगर के विकास खण्ड जोया के ग्राम काकर सराय, ककराली, पैतीकला, विकास खण्ड हसनपुर के सैद नागरी तथा विकास खण्ड गंगेश्वरी के जैतोली के ग्राम मुस्तकाम के लिए स्वीकृत ओवर हेड टैंक सहित पेय जल आपूर्ति की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-1980/52-1-2013-17(एम0एस0डी0पी0)/13, दिनांक 10-05-2013 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद जे0पी नगर के उक्त ग्रामों में ओवरहेड टैंक सहित पेय जल आपूर्ति के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 1250.70 लाख से उक्त कार्य कराने हेतु सी0एण्ड डी0एस0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित कुल धनराशि रू0 06,25,35,500/-(रूपये छः करोड़ पचीस लाख पैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में सी0एण्ड डी0एस0 के पत्र सं0-207/म0प्र0नि-8/अल्पसंख्यक सा0/53, दिनांक 10-04-2013 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि पाईप लाइन एवं पेय जल योजना जैसे परम्परागत कार्य उ0प्र0 जल निगम द्वारा ही कराये जा रहे है। अतएव उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए जनपद जे0पी0 नगर के उपरोक्त ग्रामों में ओवर हेड टैंक सहित पाईप पेय जल योजना का कार्य कराने हेतु सी0एण्ड डी0एस0 के स्थान पर उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। शासनादेश संख्या-1980/52-1-2013-17(एम0एस0डी0पी0)/13, दिनांक 10-05-2013 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

(कृष्ण मोहन त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।

Unic Code Hindi pm C.C

संख्या 116 (1)/बावन-1-2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत पाइप पेयजल आपूर्ति योजना के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथाआवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को इस आशय से प्रेषित कि सी0एण्ड डी0एस0 से धनराशि प्राप्त कर प्रश्नगत कार्य को 03 माह के अन्दर पूर्ण कराने का कष्ट करें। अवमुक्त धनराशि से प्रश्नगत कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण कराने का कष्ट करें।

7- निदेशक, सी0एण्ड0 डी0एस0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत योजना की धनराशि उ0प्र0 जल निगम को तत्काल हस्तान्तरित करने का कष्ट करें।

8- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जे0पी0 नगर।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशालय, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

11- वित्त-ई-11 को एक प्रति तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति।

12- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

13- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण मोहन त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।

Unic Code Hundpum G.O